आपस में सांठगांठ कर मिलती जुलती रेट्स दी गई जिस पर कॉनफेड ने [illegible]
जबकि कॉनफैड के स्वयं द्वारा किए मार्केट सर्वे में दरे कम आई थी लेकिन इन्हें नजर अन्दाज किया गया। कॉनफैड द्वारा व्यावसायिक नियमावली 2016 के बिन्दु संख्या 2 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत फर्मों को इम्पेनल किया गया जबकि मिड डे मील को किये गये आपूर्ति कार्य में विषय वस्तु के ब्यौरे, उसकी मात्रा, समय और स्थान पहले से ज्ञात न होने का तर्क कार्य की प्रकृति अनुरूप उचित नहीं है अतः व्यवसायिक नियमावली के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत फर्मों को इम्पेनलमेंट सही प्रकट नहीं होता है। कॉनफेड ने अन्य फर्मों से मिलीभगति के कारण नेफंड को तकनीकी बीड में जानवूझकर अयोग्य करार दिया। CAG AUDIT ने भी यही तथ्य अंकित किया है। एमडीएम द्वारा जारी कार्यादेश में एगमार्क मसाले लिखे गये पर कॉनफेड ने उनको एफएसएसएआई बना दिया। इस पर एमडीएम ने कोई आपत्ति नहीं की एवं ब्राण्ड नेम की आपूर्ति की शर्त को डीडी (एमडीएम) ने विना सक्षम स्वीकृति के सामग्री की गुणवता में बदल दिया। कॉनफेड एवं निड डे मील के अधिकारियों ने मिलीभगते सामग्री की बदल दिया। कनिका परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इनमें से कई लैब तो उक्त टेस्ट करने के लिए नियमानुसार सक्षम ही नहीं थी। उनके पास वांछित लाईसेंस नहीं थे, किसी भी फर्म के पास एगमार्क टेस्ट करने का लाईसेंस नहीं था एवं सोयाबीन तेल में विटामिन ए व डी का एचपीएलसी टेस्ट ही नहीं कराया गया। कॉनफेड को मिड डे मील द्वारा विना निविदा किए क्रय आदेश देना विधि सम्मत नहीं था। यह S.O.-135 एवं RTPP नियमों के विपरीत था। यहां यह गौरतलब है कि कॉनफेड केवल Retail ग्रोसरी के लिए ही अनुमत है और एमडीएम ने क्रय आदेश में सबलेट मनाही की शर्त नहीं लिखी जबकि यह सभी विभाग लिखते हैं (कॉनफेड फाईल पैरा 3/एन) एवं रूल्स 68 GF&AR से इसकी पुष्टि होती है और मिड डे मील/उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32. SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) को आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किया गया जो विधिसम्मत नहीं था। जीएफएण्डआर के भाग 2 के नियम 68 में क्रय हेतु वर्णित प्रारूप 16 की शर्त संख्या 13 के अनुसार ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी मारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उपभाडे (सबलेट) पर नहीं देगा जबकि एमडीएम और कॉनफेड की मिलीभगती के कारण कॉनफेड ने NCCF, NACOF, KB ने इस कार्य को आगे सबलेट पर दिया जबकि NCCF, NACOF, KB खुद ना तो प्रोड्यूसर थे ना निर्माता ना अधिकृत विक्रेता, तो इनको EMPANEL करने का कारण सिर्फ सांठगांठ थी। इन्होने आगे कार्य अन्य फर्मो 1. मैसर्स साई ट्रेडिग, 2. मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, 3. मैसर्स जागृत एन्टरप्राईजेज, 4. मैसर्स एमटी एन्टरप्राईजेज एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं को सबलेट कर दिया, जिन्होने कई फर्जी आपूर्तिकर्ताओ और ट्रांसपोर्टस का नेटवर्क स्थापित किया जिन्होंने विना माल की खरीद कर गैर मौजूद संस्थाओ के बिलो आदि का इन्द्राज रिकार्ड किया और अत्यधिक दरो पर सामान की पूर्ति की गई है और आपूर्तिकर्ताओं को चैक के माध्यम से भुगतान किया जाता था। बाद में आपूर्तिकर्ताओ द्वारा चैक से मिली भुगतान राशि नगद के रूप में ठेकेदार को वापस कर दी जाती थी। इस प्रकार चैक के माध्यम से फर्जी लेन देन दिखाया जाता था। खरीद और माल की आवाजाही के सत्यापन से फर्जी लेन देन से जूड़ी प्रक्रिया का पता

चलता है जिसमे पूरी तरह से गैर-मौजूद खरीद के आधार पर सरकार को बिल देना शामिल था जो धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की व्यवस्थित योजना को उजागर करती है और कानफेड द्वारा की गई उक्त सांठगांठ जिसमें गैर मौजूद संस्थाओ के फर्जी बिलों के आधार निम्न गुणवता का सामान प्राप्त कर उच्च दरों पर एमडीएम को दिया। इस प्रकार कानफेड के उक्त कार्य को एमडीएम द्वारा स्पष्ट से नजरअंदाज करते हुए कोई आपत्ति नहीं करना तत्समय पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों की तथा कानफैड के तत्समय पदस्थापित अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से राजकोष में करीब दो हजार करोड रूपए की हानि पहुंचाना स्पष्ट है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत दण्डनीय है। अतः उक्त कार्य में संलिप्त (1)श्री सांवतराम पुत्र श्री शिव नारायण उम्र-60 साल निवासी- मु.पो.नयाबास वाया नीमकाथाना जिला सीकरसहायक लेखाधिकारी कॉनफैड (सेवानिवृति 30.06.2025), (2) श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री डी.के.शर्मा उम्र-64 साल निवासी- 33/151 वरुण पथ मानसरोवर जयपुर प्रबंधक (ना.आपुर्ति), कॉनफैड, (सेवानिवृति दिनांक 31.12.2021 को संघ सेवा से सेवानिवृत) (3) श्री लोकेश कुमार बापना पुत्र श्री मानसिंह उम्र- 59 साल बापना निवासी- 246,बिंदुसार अपार्टमेंट फ्लेट नं.एफ-03 श्री गोपाल नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर प्रबंधक नागरिक आपुर्ति कॉनफैड, (4) श्रीमती प्रतिभा सैनी पुत्री श्री राजेन्द्र सैनी उम्र-63 साल निवासी- एफ-127 रामनगर विस्तार एक्सटेशंन स्वेज फार्म सोडाला जयपुर हाल सहायक प्रबंधक, (सेवानिवृत दिनांक 31.08.2022) कॉनफैड, (5)श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री आर.एस.शर्मा उम्र- 63 साल निवासी-803 सनसाईन सिम्पनी जयसिंहपुरा भाकरोटा जयपुर प्रबंधक (आयोजना) (सेवानीवृत दिनांक 31.10.2022 संघ सेवा से सेवानिवृत), कॉनफैड, (6) श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र स्व.श्री नारायण सिंह शेखावत उम्र-62 साल निवासी -प्लांट नम्बर 198 ऑफिसर्स केम्पस हनुमान नगर विस्तार सिरसी रोड जयपुर प्रबंधक(सेवानिवृत दिनांक 30.04.2023), कॉनफैड, (7) श्री रामधन वैरवा पुत्र श्री गोकिवन्द नारायण वैरवा उम्र-58 साल निवासी -लक्ष्मी जनरल स्टोर ग्राम भांडारेंज दोसा, गोदाम कीपर, मार्केटिंग अनुभाग, कॉनफैड, (8) श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री भानुप्रकाश शर्मा उम्र-56 साल निवासी 43 विनोबा कॉलोनी पांच बत्ती सी-स्कीम जयपुर, सुपरवाईजर मार्केटिंग अनुभाग कॉनफैड(सेवानिवृत दिनांक 30.11.2019 को संघ सेवा से सेवानिवृत) (9) श्री कवलजीत सिह राणावत (10) श्री मधुर यादव (11) श्री त्रिभुवन यादव (12) श्री सतीश मुलचंद व्यास (13) श्री दिपक व्यास (14) श्री रितेश यादव (15) श्री शैलेश सक्सैना रिजनल मैनेजर केन्द्रीय भण्डार (16) श्री बी.सी.जोशी डिप्टी मैनेजर केन्द्रीय भणडार (17) चन्दन सिंह असि.मैनेजर केन्द्रीय भणडार, (18) मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, (19) मैसर्स जागृत एन्टरप्राईजेज, (20) मैसर्स एमटी एन्टरप्राईजेज मैसर्स (21)साई ट्रेडिग के प्रोपराईटर व अन्य के विरूद्ध 7(सी), 13(1)(A), , 13(2) पीसी एक्ट1988(यथा संशोधित 2018) 120 बी भादस, आरटीपीपी एक्ट (2012) की धारा 41 में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी

202
223

6. आगे की फेज के क्रय आदेश SAME FIRMS को SAME RATE पर करने का कोई युक्तियुक्त कारण पत्रावली पर नहीं है, जो रूल्स 31 आरटीपीपी का उल्लंघन है व इनकी सांठगांठ को दर्शाता है।

7. कॉनफेड ने इम्पेनल वाली फर्मों से मिलीभगति की एवं इन फर्मों द्वारा आपस में सांठगांठ कर मिलती जुलती रेट्स दी गई। जिस पर कॉनफेड ने दरे स्वीकार कर ली जबकि कॉनफैड के स्वयं द्वारा किए मार्केट सर्वे में दरे कम आई थी लेकिन इन्हें नजर अन्दाज किया गया।

8. सैम्पल का परीक्षण ना विधिवत करवाया ना सक्षम लेब से करवाया, जो परीक्षण में दिये वे सामग्री वितरण में नहीं दी गई।

9. NCCF, NACOF, KB ने इस कार्य को आगे सबलेट पर दिया जबकि NCCF, NACOF, KB खुद ना तो प्रोड्यूसर थे ना निर्माता ना अधिकृत विक्रेता, तो इनको EMPANEL करने का कारण सिर्फ सांठगांठ थी। इन्होंने आगे कार्य अन्य फर्मों 1 मैसर्स माई ट्रेडिंग, 2. मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, 3. मैसर्स जागृत एन्टरप्राईजेज, 4. मैसर्स एमटी एन्टरप्राईजेज को सबलेट कर दिया।

10. कार्यादेश में एगमार्क मसाले लिखे गये पर कॉनफेड ने उनको एफएसएसएआई बना दिया। इस पर एमडीएम ने कोई आपत्ति नहीं की एवं ब्राण्ड नेम की आपूर्ति की शर्त को डीडी (एमडीएम) ने बिना सक्षम स्वीकृतिके सामग्री की गुणवता में बदल दिया।

11. कॉनफेड ने अन्य फर्मों से मिलीभगति के कारण नेफेड को तकनीकी बीड में जानबूझकर अयोग्य करार दिया। CAG AUDIT ने भी यही तथ्य अंकित किया है।

12. कॉनफेड द्वारा कॉम्बोपैक में दी गई सामग्रियों में एक का भी कॉनफेड ना अधिकृत होलसेल डीलर है ना निर्माता है नाही इसके द्वारा इम्पेनल की हुई संस्थाएँ। आरटीपीपी नियमानुसार कयादेश के लिए व भुगतान के लिए ऐसा होना वांछनीय था। कॉनफेड ने व एमडीएम ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया एवं यही बात कॉनफेड को सप्लाई देने वाली तीनों फर्मों पर भी लागू होती है, इन तीनों ने इस तथ्य को जानते हुए टेण्डर में भाग लिया, अन्य फर्मों से सांठगांठ कर निम्न गुणवता का सामान प्राप्त कर उच्च दरों पर सरकार को दिया।

13. तीनों फर्मों के पास ना संसाधन थे, ना अधिकृत थी इतनी वृहद्ध मात्रामें सप्लाई को, फिर भी टेण्डर में भाग लिया और आगे कार्यों को नई फर्मों को सबलेट कर दिया, जबकि यह उनके खुद के टेण्डर शर्तों के विपरीत था।

14. सप्लाई का कार्य सबलेट की गई अंतिम फर्म द्वारा सीधे ही मिड डे मील को किया गया है जबकि कार्यादेश कॉनफेड को दिया गया था एवं गुणवता जांच एवं प्रमाणन के पश्चात ही सप्लाई की जानी थी।

इस प्रकार सम्पूर्ण जांच मे पाया गया है कि कॉनफेड के Business Rules में कहीं भी फर्मों को इम्पेनल करने का प्रावधान नहीं था। एमडीएम की आपूर्ति आदेश से कुछ माह पूर्व ही

224

कॉनफैड ने विभागीय सांठगांठ से प्राप्त होने वाले सभावित क्रय आदेश को देखते हुए अपने खरीद नियमों में संशोधन प्रस्तावित कर स्वीकृत करवाया। तत्समय कहीं भी किसी क्रयादेश का कोई जिक्र तक नहीं था कॉनफेड ने इम्पैनल वाली फर्मों में मिलीभगति की एवं इन फर्मों द्वारा आपस में सांठगांठ कर मिलती जुलती रेट्स दी गई जिस पर कॉनफेड ने दरे स्वीकार कर ली जबकि कॉनफैड के स्वयं द्वारा किए मार्केट सर्वे में दरे कम आई थी लेकिन इन्हें नजर अन्दाज किया गया। कॉनफैड द्वारा व्यावसायिक नियमावली 2016 के बिन्दु संख्या 2 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत फर्मों को इम्पेनल किया गया जबकि मिड डे मील को किये गये आपूर्ति कार्य में विषय वस्तु के ब्यौरे, उसकी मात्रा, समय और स्थान पहले से ज्ञात न होने का तर्क कार्य की प्रकृति अनुरूप उचित नहीं है अतः व्यवसायिक नियमावली के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत फर्मों को इम्पेनलमेंट सही प्रकट नहीं होता है। कॉनफेड ने अन्य फर्मों से मिलीभगति के कारण नेफेड को तकनीकी बीड में जानबूझकर अयोग्य करार दिया। CAG AUDIT ने भी यही तथ्य अंकित किया है। एमडीएम द्वारा जारी कार्यादेश में एगमार्क मसाले लिखे गये पर कॉनफेड ने उनको एफएसएसएआई बना दिया। इस पर एमडीएम ने कोई आपत्ति नहीं की एवं ब्राण्ड नेम की आपूर्ति की शर्त को डीडी (एमडीएम) ने बिना सक्षम स्वीकृति के सामग्री की गुणवता में बदल दिया। कॉनफेड एवं निड डे मील के अधिकारियों ने मिलीभगते सामग्री की बदल दिया। कनिका परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इनमें से कई लैब तो उक्त टेस्ट करने के लिए नियमानुसार सक्षम ही नहीं थी। उनके पास वांछित लाईसेंस नहीं थे, किसी भी फर्म के पास एगमार्क टेस्ट करने का लाईसेंस नहीं था एवं सोयाबीन तेल में विटामिन ए व डी का एचपीएलसी टेस्ट ही नहीं कराया गया। कॉनफेड को मिड डे मील द्वारा बिना निविदा किए क्रय आदेश देना विधि सम्मत नहीं था। यह S.O.-135 एवं RTPP नियमों के विपरीत था। यहां यह गौरतलब है कि कॉनफेड केवल Retail ग्रोसरी के लिए ही अनुमत है और एमडीएम ने क्रय आदेश में सबलेट मनाही की शर्त नहीं लिखी जबकि यह सभी विभाग लिखते हैं (कॉनफेड फाईल पैरा 3/एन) एवं रूल्स 68 GF&AR से इसकी पुष्टि होती है और मिड डे मील/उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32. SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) को आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किया गया जो विधिसम्मत नहीं था। जीएफएण्डआर के भाग 2 के नियम 68 की शर्त संख्या 13 के अनुसार ठेकेदार अपनी संविदा को या

13. विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा रेण्डम मैम्पल लेकर सरकारी लैब से जांच करवाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जो उनकी फर्मों से मिलीभगत को दर्शाता है।

14. दिनांक 05.10.2020 व दिनांक 04.01.2023 को कॉनफेड द्वारा दी गई सैद्धान्तिक सहमति में यह लिखा है कि कॉनफेड की खुदरा दुकानों से बिना टेण्डर किए ग्रोसरी खरीदना आरटीपीपी में नोटिफाईड किया हुआ है। लेकिन कॉनफैड द्वारा एम्पलेड फर्म से ग्रोसरी खरीदना आरटीपीपी में नोटिफाईड नही है। इस तथ्य को मिड डे मील द्वारा नजर अन्दाज किया गया।

15. आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32. SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन संस्था बोली आमंत्रित किये बिना खुदरा रूपये ग्रोसरी, नियंत्रित वस्तुओं और औषधियों की मद राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की खुदरा दुकाने या उपभोक्ता संघ के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार, उपहार समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली से कय की जा सकती है।

16. प्रकरण में मिड डे मील/उपाचन संस्था द्वारा आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32, SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) को आपूर्ति हेतु कार्यदिश जारी किया गया जो विधिसम्मत नहीं था क्योंकि:- (i) परन्तु उक्त विन्दु की शर्त संख्या 2 में यह उल्लेख है कि ग्रोसरी की मदों के मामले में शक्तियों का प्राथमिक रूप से अभिप्राय आकस्मिक आवश्यकताओं और छोटे कयों के लिए है। थोक और नियमित क्रय के लिए उपापन संस्था आदेश देने से पूर्व दरों के संबंध में कय समिति के माध्यम से. बातचीत करेगी। थोक क्रय करते समय बाजार दरों को ध्यान में रखा जायेगा। उपासन संस्था मिड-डे मील द्वारा

इस शर्त का पालन नहीं किया गया। (1) उक्त विन्दु की शर्त संख्या 1 के अनुसार सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों को इन वस्तुओं का प्राधिकृत थोक विक्रेता होना चाहिए और/या/मूल विनिर्माताओं/उत्पादकों से सीधे ही आपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रत्येक बिल/कैश मैमों पर अभिलिखित किया जायेगा। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा उक्त विन्दु की पूर्ति नहीं की गई है। सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा जारी की गई है।

17. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड-1 भाग-2 के नियम 68 के साथ संलग्न एसआर प्रारूप 16 के बिंदु 13 के अनुसार निविदा शर्तों में यह उल्लेख किया जाना चाहिए की ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उपभाडे (सबलेट) पर नहीं देगा। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा निविदा जारी करते समय उक्त विन्दु को ध्यान में नहीं रखा गया एवं निविदा कार्य बाद में सबलेट किया हुआ पाया गया।

प्राप्त पत्रावलियों एवं ई.डी. से प्राप्त सूचना के अवलोकन से कॉनफेड के स्तर पर की गई नियम विरुद्ध कार्यवाहियां निम्न प्रकार हैं-

कॉनफेड

1. सहकारिता मंत्री द्वारा कई मंत्रालयों को कॉनफेड को खाद्य सामग्री आपूर्ति का कार्य दिलाने को दिनांक 22.07.19 को पत्र लिखा गया। फिर Business Rules में परिवर्तन किया गया एवं नियमों में मनचाहा परिवर्तन कर MDMU ICDS के ठेके नियम विरुद्ध रूप से कॉनफेड को प्राप्त हुए।

2. कॉनफेड के Business Rules में कहीं भी फर्मों को इम्पेनल करने का प्रावधान नहीं था। एमडीएम की आपूर्ति आदेश से कुछ माह पूर्व ही कॉनफैड ने विभागीय सांठगांठ से प्राप्त होने वाले संभावित क्रय आदेश को देखते हुए अपने खरीद नियमों में संशोधन प्रस्तावित कर स्वीकृत करवाया। तत्समय कहीं भी किसी क्रयादेश का कोई जिक्र तक नहीं था।

3. कॉनफेड ने एमडीएम अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर कॉम्बोपैक का प्रस्ताव 29.06.2020 को दिया एवं स्वयं के नाम क्रय आदेश प्राप्त किया जबकि ना यह भारत सरकार की गाईडलाईन में था नाही कॉनफेड इसके लिए अधिकृत था। इसकी पुष्टि कॉनफेड द्वारा एमडीएम को दिनांक 09.0620, 09.07.20, 05.05.20 को दिए प्रस्तावों से होती है जिन्हें एमडीएम ने स्वीकार किया।

4. S.O. 135 RTPP के तहत चना के लिए राजफेड/एफसीआई नामित है एवं तेल के लिए तिलम संघ अधिकृत थे। भारत सरकार की गाईडलाईन भी यही थी। मसाले जानबूझकर जोडे गए, ताकि अन्य संस्थाएँ टेण्डर में ना आ सके।

5. एमडीएम ने क्रय आदेश में सबलेट मनाही की शर्त नहीं लिखी जबकि यह सभी विभाग लिखते हैं (कॉनफेड फाईल पैरा 3/एन) एवं रूल्स 68 GF&AR से इसकी पुष्टि होती है।

6. आगे की फेज के क्रय आदेश SAME FIRMS को SAME RATE पर करने का कोई युक्तियुक्त कारण पत्रावली पर नहीं है।

4. सवटेण्डर की गई सांई ट्रेडिंग व एमटी एंटरप्राईजेज द्वारा कॉम्बो पैक आपुर्ति तु सामग्री खरीद की गयी फर्म योगेश ट्रेडिंग की जानकारी प्राप्त की गयी तो पाया गया की उक्त फर्म द्वारा दिनांक 06.01.2021 को लाईसेंस रजिस्टर्ड करवाया गया तथा दिनांक 31.7.2021 से उक्त फर्म का लाईसेंस निरस्त है और उक्त अवधि मे योगेश ट्रेडिंग द्वारा सांई ट्रेडिंग व एमटी एंटरप्राईजेज को करीब 12 करोड़ की सामग्री का बेचान किया गया है जो आपसी मिलीभगत का दर्शाता है कि योगेश ट्रेडिंग का लाईसेंस कॉम्बो पैकेट आपुर्ति के दौरान ही क्रियाशील रहा तथा बाद मे बंद करवा लिया गया।

प्राप्त पत्रावलियों एवं ई.डी. से प्राप्त सूचना के अवलोकन से मिड डे मील के स्तर पर की गई नियम विरुद्ध कार्यवाहियां निम्न प्रकार हैं-

मिड डे मील

1. कॉनफेड को मिड डे मील द्वारा विना निविदा किए क्रय आदेश देना विधि सम्मत नहीं था। यह S.O.-135 एवं RTPP नियमों के विपरीत था। यहां यह गौरतलब है कि कॉनफेड केवल Retail ग्रोसरी के लिए ही अनुमत है।

2. एमडीएम द्वारा जानबूझ कर क्रय प्रक्रिया शुरू करने में देरी की गई।जब मुख्य सचिव महोदय ने दिनांक 09.06.2020 की मीटिंग में नेफेड से चना दाल क्रय का निर्णय कर दिया था व एफडी ने आरटीपीपी के तहत क्रय करने की सलाह दी थी तो ओपन टेण्डर करने में कोई बाधा नहीं थी लेकिन अनेकानेक वहानों से देरी की गई। कॉम्बो पेक का प्रस्ताव कॉनफेड से सांठ- गांठ कर लाया गया। सचिव महोदय ने 152/एन व 168/एन पर डीवीटी का प्रस्ताव दिया पर इसको भी नजर अन्दाज किया गया।

3. नेफेड द्वारा 54 रूपये प्रति किलोग्राम दाल का प्रस्ताव दिया गया जबकि कॉनफेड द्वारा 61 रूपये प्रति किलोग्राम का प्रस्तावदिया गया था फिर भी कॉनफेड को ही क्रय आदेश दिया गया।

4. दिनांक 21.08.2020 को सचिव स्कूल शिक्षा ने नोटशीट पर लिखा,We Can Go For Open Procument परन्तु इसे भी नजर अन्दाज किया गया।

5. वित्त विभाग द्वारा पुनः दिनांक 12.11.2020 को लिखा गया कि आरटीपीपी नियमानुसार क्रय करें परन्तु पालना नहीं की गई।

6. मिड-डे मील क्रय समिति ने मार्केट सर्वे नहीं किये एवं विना सर्वे किए ही क्रय आदेश दिये थे, जो आरटीपीपी के एस.ओ. 135 का उल्लंघन था।

7. क्रय आदेश की गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी, निरीक्षण आदि शर्तोंका पालन कॉनफेड व मिड डे मील द्वारा नहीं किया गया।

221

8. पांचवे चरण का क्रय आदेश दिनांक 24-1-2023 को दिया गया था लेकिन इससे पूर्व भारत सरकार के निर्देश जो डीवीटी के थे, दिनांक 21-12-2021 को ही प्राप्त हो गये थे। लेकिन इन्होने फर्मों से सांठ गांठ कर कॉम्बो पेकिट के आदेश जारी किये।

9. प्रथम क्रय आदेश में लिखा था कि आगे के सभी चरणों में दरें यथावत रहेगी परन्तु सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने अन्तिम क्रय आदेश विना मार्केट सर्वे कराये आरटीपीपी नियमों के विरुद्ध नई दरों पर क्रय आदेश दे दिया था।

10. अन्तिम क्रय आदेश देने में जानबूझकर 8 माह की देरी की गई।

11. कॉनफेड की अक्षमता के कारण किसी भी चरण में सामग्री वितरण क्रय आदेश में निर्धारित अवधि में नहीं किया गया, लेकिन कमिश्नर मिड डे मील ने अवधि विस्तार विना उचित कारण के किया।

12. कॉनफेड एवं मिड डे मील के अधिकारियों ने मिलीभगत कर सप्लाई फर्मों द्वारा दिए गये सैम्पल एवं उनकी परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।इनमें से कई लैव तो उक्त टेस्ट करने के लिए नियमानुसार सक्षम ही नहींथी। उनके पास वांछित लाईसेंस नहीं थे, किसी भी फर्म के पास एगमार्क टेस्ट करने का लाईसेंस नहीं था एवं सोयावीन तेल में विटामिन ए व डी का एचपीएलसी टेस्ट ही नहीं कराया गया।

13. विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा रेण्डम सैम्पल लेकर सरकारी लैव से जांच करवाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जो उनकी फर्मों से मिलीभगत को दर्शाता है।

14. दिनांक 05.10.2020 व दिनांक 04.01.2023 को कॉनफेड द्वारा दी गई सैद्धान्तिक सहमति में यह लिखा है कि कॉनफेड की खुदरा दुकानों से विना टेण्डर किए ग्रोसरी खरीदना आरटीपीपी में नोटिफाईड किया हुआ है। लेकिन कॉनफैड द्वारा एम्पलेड फर्म से ग्रोसरी खरीदना आरटीपीपी में नोटिफाईड नही है। इस तथ्य को मिड डे मील द्वारा नजर अन्दाज किया गया।

15. आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32. SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन संस्था बोली आमंत्रित किये विना खुदरा रूपये ग्रोसरी, नियंत्रित वस्तुओं और औषधियों की मद राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की खुदरा दुकाने या उपभोक्ता संघ के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार, उपहार समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली से कय की जा सकती है।

16. प्रकरण में मिड डे मील/उपाचन संस्था द्वारा आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32, SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) को आपूर्ति हेतु कार्यदिश जारी किया गया जो विधिसम्मत नहीं था